



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24092024-257464
CG-DL-E-24092024-257464

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 544]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 24, 2024/आश्विन 2, 1946

No. 544]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 24, 2024/ASVINA 2, 1946

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2024

सा.का.नि. 586(अ).—भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की दिनांक 13 सितम्बर, 2024 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 572(अ.) [सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध तथा व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) मसौदा संशोधन नियमावली, 2024], जो भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3 के उप-खंड (i) में प्रकाशित हुआ था, में:-

नियम 1 के उपनियम (1) को छोड़कर, “सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध तथा व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) नियम, 2024” शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं वे प्रयुक्त हों, :-

“सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध तथा व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) नियम, 2004” प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. पी.16012/08/2017-टीसी]

लता गणपति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 23rd September, 2024

G.S.R. 586(E).—In the Notification of the Government of India, Ministry of Health and Family Welfare, No. G.S.R. 572(E) dated the 13th September, 2024, [Cigarettes and other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) draft Amendment Rules, 2024], published in Part II, Section 3, Sub-Section(i) of the Gazette of India, Extraordinary:-

For the words “Cigarette and other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Rules, 2024”, **wherever they appear, except in Rule 1, sub-rule(1) shall be substituted as, :-**

“Cigarette and other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Rules, 2004”.

[F. No. P.16012/08/2017-TC]

LATHA GANAPATHY, Jt. Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14092024-257180
CG-DL-E-14092024-257180

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 530]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 13, 2024/भाद्र 22, 1946

No. 530]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 13, 2024/BHADRA 22, 1946

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 2024

सा.का.नि. 572(अ).—सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध तथा व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (2003 का 34) की धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध तथा व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) नियम, 2024 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित मसौदा नियम बनाती है, अर्थात्-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध तथा व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) संशोधन नियम, 2024 है।
(2) ये -----को प्रवृत्त होंगे।
- सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध तथा व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) नियम, 2024 में नियम 11 में एक नया उप-नियम (1क) निम्नानुसार अंतःस्थापित किया जाएगा:

(1क) सीबीएफसी द्वारा प्रमाणित या गैर-प्रमाणित, सभी फिल्मों, चाहे वे भारतीय हों या विदेशी मूल की हों, ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित, 1 सितंबर, 2023 को या उसके बाद रिलीज की गई होंगी-

- क. फिल्म की शुरुआत और बीच में कम से कम तीस सेकंड की अवधि के तंबाकू रोधी स्वास्थ्य संबंधी विज्ञापन प्रदर्शित करें;
- ख. फिल्म में तंबाकू उत्पादों या उनके उपयोग के प्रदर्शन के दौरान स्क्रीन के निचले भाग में एक मुख्य स्थिर संदेश के रूप में तंबाकू रोधी स्वास्थ्य चेतावनी प्रदर्शित करें;
- ग. फिल्म के आरंभ में तंबाकू के उपयोग के दुष्प्रभावों पर कम से कम बीस सेकंड की अवधि का एक दृश्य-श्रव्य डिस्कलेमर (अस्वीकरण) प्रदर्शित करें।

3. सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध तथा व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) नियम, 2024 के नियम 11 में, उप-नियम (1) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

1. ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्लेटफॉर्म में प्रकाशित सभी सामग्री -

- क. ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट के प्रकाशकों के प्लेटफॉर्म खोलने पर कम से कम तीस सेकंड की अवधि के नॉन-स्किपेबल तंबाकू रोधी स्वास्थ्य स्पॉट और तंबाकू के उपयोग के दुष्प्रभावों पर कम से कम बीस सेकंड का नॉन-स्किपेबल ऑडियो-विजुअल डिस्कलेमर प्रदर्शित करेगी।
- ख. 1 सितंबर, 2023 को या उसके बाद जारी की गई भारतीय या विदेशी मूल की सभी सामग्री पर कार्यक्रम में तंबाकू उत्पादों या उनके उपयोग के प्रदर्शन की अवधि के दौरान स्क्रीन के निचले भाग में एक मुख्य स्थिर संदेश के रूप में तंबाकू रोधी स्वास्थ्य चेतावनी का प्रदर्शन किया जाएगा।
- ग. सभी ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्लेटफॉर्म को प्रावधानों अर्थात् उपरोक्त नियम 1 और 2 को लागू करने के लिए अपने सॉफ्टवेयर में पर्याप्त परिवर्तन करने के लिए उपयुक्त समय देने के लिए, इन नियमों के प्रावधान सरकारी राजपत्र में इन नियमों के प्रकाशन के 6 महीने बाद प्रभावी होंगे।

[फा. सं. पी.16012/08/2017-टीसी]

वी. हेकाली झिमोमी, अपर सचिव

टिप्पणी:-मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 137, दिनांक 25 फरवरी, 2004 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् संख्या सा.का.नि. 345 (अ), दिनांक 31 मई, 2005, संख्या सा.का.नि. 619(अ), दिनांक 11 अगस्त, 2011, संख्या सा.का.नि. 786(अ), दिनांक 27 अक्तूबर, 2011 और संख्या सा.का.नि. 708(अ), दिनांक 21 सितम्बर, 2012 और संख्या सा.का.नि. 400(अ), दिनांक 31 मई, 2023 द्वारा संशोधित किए गए।

केंद्र सरकार 'कोटपा संशोधन नियम, 2023- ओटीटी नियम के नियम 11' में आगे और संशोधन करने के लिए कतिपय नियम बनाने का प्रस्ताव करती है। सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध तथा व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) संशोधन नियम, 2024 के मसौदा नियम सम्यक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए तैयार करके तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कराकर एतद्वारा इनसे संभवतः प्रभावित होने वाले सभी हितधारकों के सूचनार्थ प्रकाशित कराए गए हैं और एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त मसौदा नियमों को उस तारीख से तीस (30) दिनों की अवधि समाप्त होने पर या के बाद विचारार्थ लिया जाएगा, जिस तारीख को इन मसौदा नियमों वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां आम जनता को उपलब्ध कराई गई हैं;

ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी भी व्यक्ति की ओर से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

आपत्तियां और सुझाव, यदि कोई हैं, तो इन्हें नीचे संलग्न विहित प्रपत्र में भरकर अवर सचिव (तंबाकू नियंत्रण), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा सं. 414-बी, डी-विंग, 4वां तल, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110011 पते पर भेजें या (j.ahluwalia66@nic.in) पर ई-मेल करें;

यह मंत्रालय की वेबसाइट <https://mohfw.gov.in> पर भी उपलब्ध होगा;

सुझाव/टिप्पणियाँ प्राप्त करने का प्रारूप

क्र.सं.	संगठन का नाम और पता अनुबंध संख्या, ई-मेल आईडी	मसौदा अधिसूचना में संबंधित धारा जिस के संबंध में टिप्पणियाँ प्रदान की जा रही हैं।	टिप्पणियाँ/सुझाव	तर्क	टिप्पणी

दिनांक: _____

स्थान: _____

हस्ताक्षर

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department Of Health And Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th September, 2024

G.S.R. 572(E).—In exercise of the power conferred by Section 31 of the Cigarettes and other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003, (34 of 2003), the Central Government hereby makes the following **draft** Rules, further to amend the Cigarette and other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Rules, 2024, namely:-

1. (1) These Rules may be called the Cigarette and other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Amendment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on _____.

2. In the Cigarette and other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Rules, 2024, in Rule 11, a new Sub-Rule (1A) shall be inserted as under:

(1A) All films certified or not by CBFC, whether of Indian or foreign origin published in the online curated content platforms including, released on or after 1st September 2023 shall-

- display anti-tobacco health spots, of minimum thirty seconds duration each at the beginning and middle of the film;
- display anti-tobacco health warning as a prominent static message at the bottom of the screen during the period of display of the tobacco products or their use in the film;
- display an audio-visual disclaimer on the ill-effects of tobacco use, of minimum twenty seconds duration each, in the beginning of the film.

3. In the Cigarette and other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Rules, 2024, in Rule 11, Sub-Rule (1) shall be substituted as under:

- All content published in the online curated content platforms, shall-

1. display non-skippable anti-tobacco health spots, of minimum thirty seconds duration and non-skippable audio-visual disclaimer on the ill-effects of tobacco use, of minimum twenty seconds upon opening the platforms of the Publishers of the online curated contents.
2. display of anti-tobacco health warning as a prominent static message at the bottom of the screen during the period of display of the tobacco products or their use in the programme on all content whether of Indian or foreign origin released on or after 1st September 2023.
3. To give adequate time to all online curated content platforms to make adequate changes in their software for implementing the provisions i.e. Rule 1 & 2 above, the provisions in these rules will come into effect 6 months after the publications of these rules in the official gazette.

[F. No.P.16012/08/2017-TC]

V. HEKALI ZHIMOMI, Addl. Secy.

Note:-The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 137, dated the 25th February, 2004, and were subsequently amended vide number G.S.R. 345(E), dated the 31st May 2005, number G.S.R. 619(E), dated the 11th August, 2011, number G.S.R. 786(E), dated the 27th October 2011 and number G.S.R. 708(E), dated the 21st September, 2012 and number G.S.R. 400(E), dated the 31st May, 2023.

The Central Government proposes to make the certain rules further to amend the 'Rule 11 of the COTPA Amendment Rules, 2023 – OTT Rules'. The draft Rules of Cigarette and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Amendment Rules, 2024 have been prepared and approved by the Competent Authority following due procedures is hereby published for information of all stakeholders likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of thirty (30) days from the date on which the copies of the Gazette of India containing these draft rules are made available to public;

Objections and suggestions which may be received from any person within the period specified above will be considered by the Central Government;

Objections and suggestions, if any, may be addressed to the Under Secretary (Tobacco Control), Ministry of Health & Family Welfare, Room No. 414-B, D-Wing, 4th Floor, Nirman Bhawan, Maulana Azad Road, New Delhi - 110011 or e-mailed at (j.ahluwalia66@nic.in) in the prescribed format attached below;

The same will be available on the Ministry's website <https://mohfw.gov.in> also;

Format for seeking Suggestion / Comments

Sl. No.	Name & Address of the organization Contract Number, e-mail ID	Relevant Section in the Draft Notification on which comments are being provided.	Comments/Suggestions	Rationale	Remarks

Date:_____

Place:_____

Signature